(नियम 64 देखिये)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा

044-फुलेरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधानसभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि-

श्री विद्याधर सिंह
चन्द्रा निवास इटावा रोड फुलेरा
जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (दल) द्वारा खड़े किए गए है।

उपर्युक्ता निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए

स्थान : कॉमर्स कॉलेज जयपुर

दिनांक : 03.12.2023

15

र्णाः (राम् कुमार समी) रिक्रिका अधिकारी विधानसमाश्चेत्र-कुमोस (044) उपस्तपङ् अधिकारी एवं उपस्तपङ् भागिर्दृष्ट, समिर लेक मजिस्ट्रेट सांभर

Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State from the 044- Phulera Assembly constituency.

In puesuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

Shri Vidhyadhar Singh Chandra Nivas Itava Road Phulera sponsored by Indian National Congress (Party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Commerce College Jaipur

Dated: 03.12.2023

Sugurivi Diorial Madistratica SubLake

Divisional Magistrate Sambhar